तथा फर्में 18 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक दर से ब्याज लेती हैं ;

(ख) क्या इतनी अधिक दर पर ब्याज लेना विधि संगत है और यदि नहीं, तो इस की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ऋण लेने वाले लोग यदि कोई किश्त विलम्ब से देते हैं, तो उक्त कम्पनियां अवैध तरीकों से सम्बन्धित बसों तथा ट्रकों को जब्त कर लेते हैं, और यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस तरह की शिकायतें मिली हैं और आरोप लगाये गये हैं कि किराया खरीद के लिए धन देने वालों की ब्याज की दरें, खास कर दिल्ली क्षेत्र में, बहुत ऊंची हैं, लेकिन सरकार के पास वास्तविक या प्रभावी दरों या ब्याज लेने या देने वाली पार्टियों के बारे में ठीक-ठीक या निश्चित सूचना नहीं है ।

(ख) किराया खरीद के लिए धन देने वालों द्वारा ली जाने वाली दरों पर इस समय कोई नियन्त्रण नहीं है, लेकिन अतिब्याजू ऋण अधिनियम 1918 के अधीन जिस रूप में इसे पंजाब ऋणग्रस्तता सहायता अधिनियम 1934 के द्वारा संशोधित करके दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है, उधार लेने वाले किसी व्यक्ति को यदि ब्याज की दरें बहुत ऊंची जान पड़ती हों तो उसे अदालत की शरण लेने की स्वतन्त्रता है ।

(ग) किराया खरीद के व्यक्तिगत करारों में शामिल की जाने वाली शर्तों और जिस हद तक उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है उसके सम्बन्ध में सरकार को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है । किराया खरीद के आधार पर लेन-देन करने से सम्बद्ध कानून को, इस विषय में विधि आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए, संहिताबद्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Flood and Erosion Schemes in Gauhati

2707. Shri P. C. Borooah:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a scheme has recently been approved by Government to save Gauhati from floods and erosion by Brahmaputra; and

(b) if so, the cost and other details of the scheme?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) A scheme for the protection of Gauhati town from erosion by the Brahmaputra was approved by Planning Commission in May, 1965.

(b) The scheme estimated to cost Rs. 35·45 lakhs, comprised of the construction of revetment with suitable apron and toe walls from Sulkeswar Ghat to N.C.C. building site at Gauhati on the left bank of Brahmaputra to provide permanent protection against erosion.

गंडक परियोजना

2708. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना के बांध के द्वार के लिये अभी तक उपयुक्त किस्म के लौह-चादर उपलब्ध नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या द्वार के अभाव में गंडक परियोजना के सिंचाई कार्यक्रम में विलम्ब होगा?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). कपाट बनाने वालों को 900 टन एम० एस० चादरें

दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 900 टन की देशी चदरों का भी प्रबन्ध कर दिया गया है। बकाया 1200 टन की सप्लाई के प्रबन्ध के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। बहुत मांग के कारण इस्पात की प्राप्ति में कठिनाई हुई है।

(ग) यदि इस्पात समय पर नहीं सप्लाई किया जाता और कपाट नहीं बनते, बराज को चालू करने में देरी हो जाएगी परन्तु इस स्थिति से बचने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विलिंगडन अस्पताल

2709. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली के बदले में उपयुक्त भूमि तथा इमारतों की लागत लेने के लिये एक दावा दायर किया है ;

(ख) क्या उसके हस्तान्तरण के अवसर पर प्रतिकर की राशि निर्धारित नहीं की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क),(ख) और (ग). 80,647 रुपये का भुगतान करके नई दिल्ली नगर पालिका के दावे का 1963 में अन्तिम रूप से निपटारा कर दिया गया था। तथापि नगरपालिका ने एक नया अभिवेदन हाल ही में भेजा है जो विचाराधीन है।

D.V.C. Withdrawal Plan

2710. **Shri Shree Narayan Das:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the phased programme of withdrawal as drawn up by the Bihar State Electricity Board from a number of points outside the Damodar Valley by the D.V.C. and from points in Damodar Valley area by the State Governments concerned has been considered;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the features of the plan of withdrawal now agreed upon by the D.V.C. and the Governments of Bihar and West Bengal?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) to (c). The loads met by the D.V.C. outside the Valley in West Bengal excepting the Calcutta Electric Supply Corporation have already been transferred to the West Bengal State Electricity Board. The power supply to the Calcutta Electric Supply Corporation under the existing arrangements is to be taken over by the West Bengal State Electricity Board on 1-1-1970 i.e., after the termination of the Corporation's agreement with the CESC. The Government of West Bengal are at present meeting a load of about 35·4 MW inside the valley from their own generation. The question of transfer of these loads to the D.V.C. has already been raised with the State Government and is now under discussion.

The Bihar Government are not supplying power to consumers inside the valley from their own generation. The D.V.C. will be withdrawing from outside valley in Bihar on the basis of an agreed phased programme for such withdrawal commencing from March, 1966. As against the outside load in Bihar to the extent of about 200 M.W. which is now being met by the D.V.C., the D.V.C. will be supplying only 69 M.W. by June, 1968 up to which date phased programme has been drawn up.